तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
25.6.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (हीरादास वैष्णव पुत्र प्रभुदास वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, प्लॉट नं. 134 सारणेश्वर रिक्को एरिया, सिरोही, जिला– सिरोही) उपस्थित। प्रतिवादी संख्या– 3 (भरत सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म धनलक्ष्मी बेवरेज, ग्राम पोस्ट– पावटा, तह. आहोर, जिला– सिरोही) उपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.3.2023 को फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, प्लॉट नं. 134 सारणेश्वर रिक्को एरिया, सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता हीरादास वैष्णव पुत्र प्रभुदास वैष्णव से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) का नमूना संख्या S-2074 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./818/Act/2023/861 दिनांक 10.4.2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 25.6.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर अलग अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या–2 (प्रभुदास जी) की मृत्यु हो चुकी है एवं जवाब के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को सुना गया। प्रतिवादी हीरादास वैष्णव ने यह अनुरोध किया कि उसने पैकिंग अवस्था में ही उक्त पेय पदार्थ क्रय कर विक्रय किया है वह छोटा व्यापारी है। प्रतिवादी संख्या–3 ने अनुरोध किया कि उक्त पेय पदार्थ के लेबल में अब सुधार कर दिया है। भविष्य में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ का विक्रय नही करुंगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करावे। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह .....लगातार	भरतसिंह हीरादास वैष्णव

न्या. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 21.3.2023 को फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, प्लॉट नं. 134 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक के अन्दर आम जन के बिक्री हेतु रखे हुये Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) के 200 कार्टुन (प्रत्येक कार्टुन में 24 पैक्ड बोतलें) (प्रत्येक बोतल 200 एम.एल.) में मिलावट का शक होने पर Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की 24 पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय किया एवं खरीदशुदा Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की 6–6 पैक्ड बोतलों के चार पैकेट बनायें एवं नियमानुसार लेबल तैयार कर लेबलों पर प्रतिवादी विक्रेता हीरादास वैष्णव एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं द्वारा हस्ताक्षर किये गये तथा इन लेबलों को चारों नमूना भागों पर नियमानुसार चिपकाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने चारों नमूना भागों को कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) के चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता हीरादास वैष्णव एवं गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.3.2023 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेश परिहार, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 29.3.2023 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त ....लगातार	

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, प्लॉट नं. 134 सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही में प्रतिवादी हीरादास वैष्णव पुत्र प्रभुदास जी वैष्णव से Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की 200–200 एम.एल. की पैक्ड बोतलों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) का नमूना संख्या S-2074 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./818/Act/2023/861 दिनांक 10.4. 2023 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, सारणेश्वर रिको एरिया द्वारा Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की पैक्ड बोतलों को फर्म रमीला एजेन्सी से खरीद किया था एवं फर्म रमीला एजेन्सी, सारणेश्वर रिको एरिया, सिरोही द्वारा Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की 200–200 एम.एल. की पैक्ड बोतलों को फर्म धनलक्ष्मी बेवरेज, ग्राम पोस्ट– पावटा, तहसील– आहोर, जिला– सिरोही से क्रय किया गया था, जो Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) की निर्माता व पैकर फर्म है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–1 (हीरादास) की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–2 (प्रभुदास पुत्र रुपदास जी) की दिनांक 17.1.2023 को मृत्यु हो चुकी है, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या–2 (प्रभुदास पुत्र रुपदास जी) के विरुद्ध यह कार्यवाही बन्द (ड्रॉप) की जाती है। चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–1 (हीरादास पुत्र प्रभुदास वैष्णव) ने मिथ्याछाप Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) का विक्रय करके एवं प्रतिवादी संख्या–3 (भरतसिंह) द्वारा मिथ्याछाप Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) का निर्माण व पैकिंग करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 42/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	आदेश अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 3 क्रमशः हीरादास वैष्णव व भरत सिंह, अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) Carbonated Beverage with fruit Juice (Marwar Devat Jeeru) के विक्रय हेतु प्रतिवादी हीरादास वैष्णव पुत्र प्रभुदास जी वैष्णव, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म श्री गजानन्द कोल्डड्रिंक, प्लॉट नं. 134 सारणेश्वर रिक्को एरिया, सिरोही, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) की एवं प्रतिवादी भरत सिंह, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म धनलक्ष्मी बेवरेज, ग्राम पोस्ट– पावटा, तहसील– आहोर, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी हीरादास एवं भरत सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 16.7..2024 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला) अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:29:06 IST
Reason: SelfAttested